मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

क्र. IPI/5/0010/2024/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स गोकलदासएक्सपोर्ट्स अचारपुरा प्रा. लि. द्वारा औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा, जिला भोपाल में दो चरणों में परिधान निर्माण इकाई स्थापना संबंधी प्रस्ताव (DIPIP22919) हेतु पूर्व शासनादेशों द्वारा स्वीकृत सुविधाओं के संबंध में पुर्नविलोकन पर निम्नानुसार सुविधायें प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जाता है-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता-** शासनादेश क्र. एफ 16-15/2021/ए-ग्यारह दिनांक 25/01/2021 के कंडिका क्रमांक 4 ''निवेश प्रोत्साहन सहायता'' द्वारा निर्धारित वर्षवार लक्षित टर्नओवर को प्रथम चरण हेतु निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाता है-

सहायता हेतु क्लेम वर्ष	**वर्षवार लक्षित टर्नओवर (रू. करोड में)**
प्रथम	15
द्वितीय	40
तृतीय	80
चतुर्थ	100
पंचम	120
षष्ठम	135
सप्तम	150

2. **सुविधाओं हेतु अन्य घटक -** निवेश प्रोत्साहन सहायता की गणना में नीति अनुसार घटकों के अतिरिक्त पूर्व शासनादेशों द्वारा निर्धारित अन्य घटकों के साथ-साथ यंत्र-संयंत्र में अग्निशमक संयंत्र, क्रेच, कैंटीन, वर्कर एवं स्टॉफ रेस्ट रूम को मान्य किया जाये।

3. **अतिरिक्त भूमि का आवंटन** - शासनादेश दिनांक 15.09.2022 के कंडिका क्रमांक-1 "भूमि आवंटन में रियायत" द्वारा स्वीकृत प्रशिक्षण केन्द्र एवं आवास हेतु अतिरिक्त भूमि आवंटन का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन में परिवर्तित किये जाने संबंधी इकाई की मांग पर निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में इकाई को पूर्व से आवंटित भूमि के अतिरिक्त भूमि आवंटन की मांग प्रस्तुत करने पर प्रचलित म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधान अनुसार कार्यवाही की जाये।

4. परियोजना को उद्योग सवंर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ पात्रता अनुसार शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

5. पूर्व शासनादेशों की प्रभावशीलता- कम्पनी द्वारा प्रस्तावित परिधान निर्माण इकाई के परिप्रेक्ष्य में जारी प्रथम आदेश दिनांक 16.06.2021 से 3 वर्ष तक प्रथम चरण अन्तर्गत ही उत्पादन प्रारंभ किया गया है। अतः पूर्व शासनादेशों क्र. एफ/16- 15/2021/ए-ग्यारह, दि. 16.06.2021, क्र. एफ/16-15/2021/ए-ग्यारह, दि. 16.02.2022 एवं क्र. एफ/16-15/2021/ए-ग्यारह, 15.09.2022 द्वारा स्वीकृत समस्त तथा शर्तें मात्र प्रथम चरण हेतु लागू होंगी।

निरंतर..........

6. स्वीकृत समस्त सुविधाओं का लाभ इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत निर्धारित समय-सीमा में एमपीआईडीसी को आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगा।

7. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(शाश्वत सिंह मीना)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. IPI/5/0010/2024/ए-ग्यारह

भोपाल, दिनांक 24/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला- भोपाल।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स गोकलदासएक्सपोर्ट्स अचारपुरा प्रा. लि., No. 25, 2^{nd} Cross, 3^{rd} main, Yeshwantpur Industrial Sunurb, Bengaluru - 560022.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग